सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 32वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छ0ग0 द्वारा थाना आकर ज्ञापन क0-342/अति0तह0/2023 भिलाई नगर दिनांक 21.03.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खसरा न0 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन कमांक 2 वार्ड न0. 14 बाचादीप सिंह नगर से संबंधित जमीन की आवेदक मुकेश यावने को अनावेदक एन.धन राजु आत्मज एन. नारायण के द्वारा विकप किया गया एवं एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विकया किया गया है उक्त भूमि अभिलेख अनुसार आम छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप040-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग, सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में थाना वैशाली नगर के अपराध कं. 61/2023 धारा 420,34 भादवि के विवेचना क्रम में दिनांक 18.07.20217 को हरिश चन्द राठौर द्वारा खसरा कं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का छदम आदमी अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को खड़ा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गोंडाने पिता स्व. राम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 को खड़ा कर स्वयं के नाम पर पावर आफ अटर्नि लिया जिसमें पुरुषोत्तम (छदम व्यक्ति अरविन्द भाई) का फर्जी ड्रायविंग लायसेंस जिसका नं. सी.जी.07/19980001230 दुर्गा कम्प्युटर मालवीय रोड से संतोष साहू को जरिए वॉटसअप के भेज कर बनवाया। जो लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर आर.टी.ओ. साईट पर दिखता है। बनाकर पॉवर आफ अटर्नि में लगाया। इस तरह कूट रचना कर हरिश राठौर द्वारा पॉवर आफ अटर्नि तैयार कर ऋण पुस्तिका हेमंत सोनवानी से 5000 रू. में प्राप्त किया। प्रकरण में एन धनराजू तथा संतोष नाथ उर्फ जांबर द्वारा हरिश से सम्पर्क कर उक्त दस्तावेजो के आधार पर स्वयं के नाम पर 10-10 लाख रू. में दिनांक 20.07.2017 को रजिस्ट्री कराया, जिसकी कीमत प्रत्येक 10-10 लाख रू. लेख किया गया। जिसमें से 5-5 लाख रू. नगद भुस्वामी द्वारा 2011 से किस्तों में प्राप्त करना लेख किया गया है। बकाया राशि 5 लाख रू. एचडीएफसी बैंक भिलाई तथा चिखली से संतोष नाथ द्वारा चेक कं. 000031 दिनांक 20.07.2017, एन धनराजू द्वारा 000065 दिनांक 20.07.2017 को देना लेख किया है, जबकि एन धनराजू द्वारा मुल स्वामी अरविन्द भाई के खाते की जानकारी रजिस्ट्री में लेख नहीं की गयी है और न ही अब तक की विवेचना में किसी के अरविन्द या पुरूषोत्तम के खाते में भुमि के संबंध में पैसा देने संबंधी कोई प्रवृष्टि प्रस्तुत की है। मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीयान-

1. अरविन्द भाई उर्फ पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. छदम व्यक्ति अरविन्द की जगह पावर आफ अटर्नि देने हेतू उप पंजीयक के सामने खड़ेहोकर फुट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा स्वयं को अरविन्द भाई होना बताया। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

2. पावर ऑफ अटर्नि गवाहन 1. तिलकचंद गौडाने पिता स्व. राम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास

राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो. नं. 9171842310 व 2. खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 द्वारा यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नही है बतौर गवाह उप पंजीयक कार्यालय में पहचान गवाह के रूप में किया गया। धारा 120 बी का आरोपी पाया गया।

3. हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना भिलाई भ_ी जिला दुर्ग मो.नं. 9584944568, 8319952301 द्वारा फर्जी तरीके से यह जानते हुए भी पुरूषोत्तम अरविन्द भाई नहीं है। अरविन्द भाई की नाम की जमीन खसरा कं. कं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का पावर ऑफ अटर्नि पुरूषोत्तम को अरविन्द भाई के जगह खड़ा कर फर्जी लायसेंस संतोष से तैयार कराकर पावर आफ अटर्नि बनाया तथा 50000 रु. प्राप्त कर एन धनराजू तथा संतोष नाथ के बोलने पर उनको रजिस्ट्री किया। प्राप्त 50000 रू. में से पुरुषोत्तम, तिलकचंद गोंडाने व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे को कुल 10000 रू. देना बताता है। पारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

4. संतोष कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग मो.नं. 7803079787 के द्वारा फर्जी लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर एडिड कर अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम का लायसेंस फर्जी तैयार किया। जो उसके मालिक दीपक मानिकपुरी के कहने पर करना बताता है। इसके अलावा कई लोगो के आधार का लायसेंस फर्जी तैयार किये गये है। जिसके एवज में 200 स. प्राप्त किये। हरिश राठौर से अकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

5. दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर दास उम्र 39 साल पता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग मो.नं. 7000643848 जो दुर्गा कम्प्युब्र के मालिक है जिसके कहने पर संतोष द्वारा फर्जी आधार कार्ड तथा लायसेंस 200 रू. में बनता था। हरिश राठौर से एकाउंट में पैसा लिया गया है। धारा 120बी का आरोपी पाया गया।

6. हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम.डी. 345 बोरसी थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग मो.नं. 9826113654 जो फर्जी ऋणपुस्किा हरिश राठौर को टीकाराम मोहबे उर्फ भाउ से मांगवा कर शील संजय शर्मा द्वारा लगायी गयी सील रिकवरी शेष है।

7. टीकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर घान मंडी के पीछे दुर्ग मो.नं. 9340522543 द्वारा राजनांदगांव के पास डोगरगांव के कोटवार से फर्जी ऋण पुस्तिका मंगवायी गयी जिसे हेमन्त सोनवानी को दिया।

8. संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग मो.नं. 9111263690 द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका में शील लगया गया है जो फर्जी शील बनाकर अपने पास रखा है।

9. कोटवार रांजनांदगाव का पता तलाश जारी है। टीम रवाना किया गया है।

10. आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलार्थर का पता तलाश जारी है।

11. आरोपी एन. धनराजू अग्रिम जमानत पर है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, तीन युवकों की मौत

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को एक भीषण सडक़ हादसा हो गया। कुरुद थाना क्षेत्र के कॉलेज मोड़ के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया है। स्थानीय लोगों ने सडक़ सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।

भाजपा से बगावत करने वाले 6 साल के लिए निष्कासित

रायपुर (आरएनएस)। नगरीय निकाय में पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इन सभी लोगों को प्रदेशाध्यक्ष के आदेश पर पार्टी से तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इनमें नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला से 1, नगर पंचायत शिवरीनारायण से 2, नगर पंचायत बलौदा से 1, नगपालिका अकलतरा से 7, नगर पंचायत नवागढ़ से 8 तथा नगर पंचायत पामगढ़ से 1 नाम शामिल है।

शादी का दबाव बनाने पर की थी प्रेमिका की हत्या, गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.25 को प्रार्थी गंगा के द्वारा अपनी भांजी कु.रचना सोना के अपने घर गीता नगर से कहीं चली गई है और नहीं मिल रही है कि सूचना पर तत्काल गुम इंसान दर्ज कर जांच कार्यवाही में लिया गया. जिसकी सूचना तत्काल लाल उमेंद सिंह उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को दी गई जिसमें मामले की गंभीरता और मामला महिला संबंधी होने से तत्काल आसपास के क्षेत्रों के फुटेज और तकनीकी आधार पर और आसपास के लोगों से बारीकी से पूछताछ कर गुम इंसान की बरामदगी और किसी अनहोनी घटना होती है तो कठोर से कठोर कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने उपरांत तत्काल फुटेज और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ करने पर संदेही विवेक के ऊपर संदेह हुआ। जिसे पूछताछ करने पर 2 दिनों तक गुमराह करते रहा जिससे लगातार पूछताछ किया गया अंतत: टूट कर अपना जुर्म कबूल किया आरोपी की निशानदेही पर मृत्तिका के शव को अमलेश्वर के खमहरिया खार से बरामद किया गया और फॉरेंसिक की टीम से भी मौके पर प्रारम्भिक परीक्षण कराया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

झारखंड का गिरोह कर रहा था एटीएम से हेराफेरी, पुलिस ने दबोचा

राजनांदगांव-रायपुर । आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी पिता स्व0 आनंद राम निवासी सृष्टि कॉलोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर का शिकायत आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.02.2025 को प्रात: 09:00 बजे यह सृष्टि कॉलोनी स्थित ए0टी0एम0 में पैसा निकालने के लिए गया हुआ था और ए0टी0एम से पैसा निकालने के लिए के दो बार प्रयास किया किन्तु पैसा नही निकला उसी दौरान इसके पीछे खडा व्यक्ति इसका ए0टी0एम0 का पिन नंबर देख लिया तथा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे सलाह दिया कि इस ए0टी0एम0 में पैसा नही है आगे के ए0टी0एम0 से निकल जायेगा तब प्रार्थी महामाया चौक स्थिति ए0टी0एम0 में पैसा निकलने के लिए गया तो उसके पहले वह अज्ञात व्यक्ति उस ए0टी0एम0 में पहले से पहुँच चुका था। प्रार्थी द्वारा पैसा आहरण के लिए अपना ए0टी0एम0 कार्ड ए0टी0एम0 में डाला तो उसका ए0टी0एम0 कार्ड मशीन में फंस गया तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी को ए0टी0एम0 मैनेजमेंट का मोबाईल नंबर दिया जिससे प्रार्थी द्वारा बात करने पर 11:00 बजे आने की सलाह दिये जाने पर प्रार्थी चला गया। प्रार्थी जब बैंक गया तो प्रार्थी को पता चला कि इनके खाते का पैसा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ए0टी0एम0 के माध्यम से 39,500/रूपये की धोखाधडी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) राजनांदगांव के मार्ग दर्शन एवं राहुल देव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव एवं पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व पर अज्ञात आरोपियो की गिरफ्तारी व पता तलाश हेतु अलग-अलग टीम तैयार किया गया था। प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल महामाया चौक ए0टी0एम0 के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर प्रार्थी के आगे पीछे संदिग्ध स्थिति में चार व्यक्ति आते जाते दिखाई दिये। घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का लगातार मिलान, शहर में लगे कैमरो से करने पर पता चला कि आरोपीगण महाराष्ट्र नंबर की हुण्डई कार में दुर्ग रायपुर की ओर जाना पता चलने पर, घटना के संबंध में दुर्ग रायपुर एवं बिलासपुर की पुलिस से संपर्क कर घटना से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। राजनांदगांव बसंतपुर पुलिस टीम आरोपीगणो का लगातार पीछा कर रही थी। जिन्हे बिलासपुर पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकडा गया। आरोपीगणो को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। आरोपीगणो से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी से अपने साथियो के साथ धोखाधडी कर घटना कारित करना स्वीकार किया तथा अपने कथन मे बताया कि राजनांदगांव में घटना कारित करने के बाद रेल्वे स्टेशन दुर्ग से लगा ए0टी0एम0 में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिये है। रायपुर में भी ए0टी0एम0 के आसपास घटना कारित करने का प्रयास कर रहे थे किन्तु सफल नही हो पाये, जिसके बाद बिलासपुर से होते हुए अपने गांव हजारीबाग (झारखण्ड) जा रहे थे तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया। आरोपियों के विरूद्ध थाना बसंतपुर राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 57/25 धारा 318, 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने से चारो आरोपीगणों को विधिवत् माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जहॉ जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

ई-रिक्शा लूटपाट करने वाले 4 आरोपी व एक बालक गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

विवरण दिनांक 02.02.2025 को रात्रि करीबन 09.00 प्रार्थी सालिक राम केवर्त पिता भागबली केवर्त उम्र 34 वर्ष निवासी मस्जिद के पास बंजारी नगर रावांभाठा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी अपने ई रिक्शा आटो क्रमांक -0373 को चलाते हुये रेल्वे स्टेशन रायपुर से रावांभाठा अपने घर आ रहा था प्रार्थी जैसे ही ष्ठक्ररू आफिस के पास पहुंचा था उसी समय तीन अज्ञात लडक़े प्रार्थी के आटो को आते देख रोका और प्रार्थी को मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर प्रार्थी के ई रिक्शा क्रमांक 0373 चेचिस नंबर 67020 मोटर नंबर 020 कीमती 100000 रूपये को लुट कर ले गये आरोपीगण एक दुसरे का नाम मोंटी, शेखर, हुलेश, कहकर बोल रहे थे कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 84/25 धारा 309 (6) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान तीन व्यक्तियो को पकडक़र नाम पता पूछने पर आदित्य उर्फ मोन्टी सोना, शेखर वर्मा, हुलेश सागर बताये कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना दिनांक 02.02.25 को प्रार्थी सालिक राम केवर्त के साथ मारपीट कर इनके ई रिक्शा क्रमांक 0373 को एक विधि के साथ संघर्षरत् बालक के साथ लूट करना बताये। आरोपियो के कब्जे से ई रिक्शा क्रमांक 0373 कि 100000 रूपये को बरामद कर कार्यवाही किया गया।

लीजेंड 90 क्रिकेट लीग : क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों के लिए 6 हजार नई कुर्सियां

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मेजबानी में लीजेंड 90 लीग टूर्नामेंट का आगाज 6 फरवरी को होने जा रहा है। इससे पहले स्टेडियम में खराब हो चुकी 6 हजार कुर्सियां को बदलकर नया लगाया गया है।

अब अपर सीट के दर्शक आरामदायक नई कुर्सी में मैच का आनंद उठाएंगे। स्टेडियम में लंबे समय से कुर्सियां बदली नहीं गई थीं। लीग टूर्नामेंट से पहले व्यवस्था को बेहतर कर लिया गया है।

हरिभूमि ने मंगलवार को स्टेडियम का जायजा लिया। लीजेंड 90 लीग को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्रिकेट के लिए पिच को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा लंबी घास को भी मशीन के जरिए काटा जा रहा। बता दें कि आज सुबह से सभी 6 टीमों के 60 से अधिक खिलाड़ी रायपुरपहुंचने लगेंगे। संभवत: छत्तीसगढ़ और दिल्ली की टीम शाम को अभ्यास करेगी। मैदान के चारों और लाइट सिस्टम लगाया जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर दर्शकों को ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी।

मैच के दौरान इस बार दर्शकों के लिए खाने की सुविधा नहीं रहेगी। पानी लेकर साथ में लेकर आना होगा। लीजेंड 90 लीग में दर्शकों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले दिन के लिए टिकट खरीदी जा रही है। स्टेडियम में ऑफलाइन भी टिकट मिलेगी। आयोजक द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शक टिकट को स्कैन करवाकर सीधे स्टेडियम में प्रवेश करेंगे।

गौ तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गोवंशों को किया बरामद

आरंग । आरएनएस

गौ तस्करी में लंबे समय से जुड़े आरोपी संजय टंडन को एक बार फिर पुलिस ने 4 मवेशियों के साथ पकड़ा है. आरोपी संजय के साथ वाहन चालक ग्राम बनचरौदा निवासी बालकृष्ण साहू को भी गिरफ्तार किया गया है. यह मामला आरंग थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के अनुसार, गौसेवक आदेश सोनी के नेतृत्व में गौसेवकों ने ग्राम कुकरा-संडी के बीच नहर के पास वाहन संख्या 3465 से मवेशियों को परिवहन करते हुए पकड़ा और तुरंत आरंग पुलिस को सूचना दी. आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि आरोपी संजय टंडन और बालकृष्ण साहू मवेशियों को ग्राम सिवनी से अकोली खुर्द ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास मवेशियों के परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं था. जिसके बाद आरोपी संजय टंडन और बालकृष्ण साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2011 की धारा 04,06,10 और क्चहृस् 299 के तहत कार्रवाई कर रही है.

गौ तस्करी मामले में आरोपी संजय टंडन कई बार जा चुका है जेल

ग्राम अकोली खुर्द (आरंग) निवासी आरोपी संजय टंडन मुख्य रूप से गौ तस्करी का काम करता है. इसके पहले भी वह कई दफा जेल जा चुका है. लेकिन जेल से छुटकर फिर से गौ तस्करी का काम करता है. सूत्रों से यह भी पता चला है कि आरोपी संजय टंडन क्षेत्र में घूमकर मवेशी खरीदता है और गौ वंश को इक्कठा कर कंटेनर के माध्यम से गौरभाट से महानदी पार कर महासमुंद के रास्ते ओडिशा के किसी कत्लखाने में भेज देता है. आरोपी संजय टंडन को किसी बड़े गौ तस्कर का संरक्षण मिल रहा है जिसके कारण वो जेल जाने के बाद आसानी से छूट जाता है. फिलहाल, इस क्षेत्र में एक बार फिर गौ तस्करी की घटना से गौसेवकों में खासी नाराजगी है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

दहेज में लिए 50,00,000 और गहने, फिर कहने लगा कहा भीखमंगे परिवार में शादी हो गई : बहू पहुंची थाने, एफआईआर दर्ज

रायपुर । आरएनएस

कोटा रोड निवासी श्रेया छपोलिया ने अपने पति राघव नंदन छपोलिया, ससुर विश्वनाथ छपोलिया और सास संगीता छपोलिया के खिलाफ महिला थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराने के बाद एफआईआर दर्ज कराई है.

शिकायत में श्रेया ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

श्रेया के अनुसार, उसका विवाह 23 जून 2023 को कटक निवासी राघव नंदन छपोलिया से भव्य तरीके से संपन्न हुआ था. शादी के पहले ही ससुरालवालों की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी, जिसे उसके परिवार ने पूरा भी किया. शादी के दौरान करीब 50 लाख रुपये नकद और कीमती गहने दिए गए थे. बावजूद इसके, ससुरालवालों की लालच खत्म नहीं हुई.

शिकायत में श्रेया ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे. पति राघव नंदन बार-बार उसके चरित्र पर शक करता था और छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करता था. वह श्रेया का फोन चेक करता और उसे अपमानित करता था. सास-ससुर भी उसे गरीब घर की लडक़ी बताकर नीचा दिखाते थे.

श्रेया ने यह भी बताया कि जब वह अपने मायके आई, तो वापस ले जाने के नाम पर उसके पति ने 5 लाख रुपये की मांग की. जब यह रकम दी गई, तब जाकर उसे वापस ससुराल ले जाया गया. इसके बाद भी लगातार प्रताडऩा जारी रही और सास ने 10 लाख रुपये की और मांग रखी.

महिला थाना में शिकायत, पति नहीं हुआ काउंसलिंग में शामिल

शिकायत के बाद महिला थाना में काउंसलिंग की गई, लेकिन पति राघव नंदन उपस्थित नहीं हुआ. अब श्रेया ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने श्रेया की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी, दंपति गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रहलाद सिंह सिकरवार कि रिपोर्ट आरोपीगण अनिता सिंह, इनके पति नरेन्द्र सिंह एवं इनके साथी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी के द्वारा प्रार्थी के बेटे नवीन सिंह को मंत्रालय रायुपर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 425000 रू तथा बुद्धेश्वर को मंत्रालय में प्यून के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 170,000 रू अलग अलग किस्तों एवं फोन के माध्यम प्राप्त किया है। नौकरी नही लगाने व रकम वापस मांग करने पर अनिता सिंह ने भुपेश कुमार सोनवानी का युनियन बैंक आफ इंडिया का चैक नवीन को 425000 रू तथा बुद्धेश्वर को 150000 रू का दिया जिसे लगाने पर बाउंस हो गया इसके संबंध में बताने पर रकम आज कल देना कहते हुये घुमाते रहे। इस तरह आरोपीगणों द्वारा रकम लेकर नौकरी नहीं लगाया ना ही रकम को वापस कर आवेदकों के साथ धोखाधडी किये है। आवेदन के अवलोकन पर आरोपीगणों ने आवेदक के बेटे नवीन सिंह तथा बुद्धेश्वर को नौकरी लगाने के नाम पर छलपूर्वक धोखाधडी कर कुल 595,000 रूपये की ठगी करना अपराध धारा 420,34 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है एवं अन्य आरोपी अनिता सिंह एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर घटना दिनांक से सकुनत से फरार थे जिसकी पता तलाश की जा रही थी। प्रकरण गंभीर किस्म का होने से प्रकरण के फरार आरोपी त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी में मार्गदर्शन मे टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश कि जा रही थी कि दिनांक 04-02-2025 को आरोपीगण अनिता सिंह एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर साकिनान ब्लाक नंबर 08 बीएसयुपी कालोनी भाठागांव रायपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर, आरोपीगण अनिता सिंह उर्फ अन्नू पति नरेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 62 साल एवं नरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता द्वारका सिंह ठाकुर उम्र 66 साल साकिन ब्लाक नंबर 08, बीएसयुपी कालोनी भाठागांव रायपुर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आनंद शुक्ला, सउनि रामचंन्द्र कंवर, आरक्षक लोकेश सलाम, लक्ष्मीनारायण यादव, परस मण्डावी, हेमंत नेताम म0 आरक्षर दीप्ति चंद्राकर का विशेष योगदान रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU